12-12-2015

प्रार्थना पत्र मिसल तलबी पेश होने पर पत्रावली आज पेश हुयी वादी व प्रतिवादीगण उपस्थित। उभय पक्षों के द्वारा राजीनामा पेश किया गया। प्रतिवादीगण को वाद डिग्री किये जाने मे कोई आपत्ति नही है अतः राष्ट्रीय लोक अदालत की भावना के मद्देनजर रखते हुये आपसी सहमति से वाद वादी डिग्री किया जाता है। प्रतिवादीगण को हमेशा-2 के लिये जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे वादी के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी ख0न0 1336 रकबा 1-00 है0 ख0न0 1338/2 रकबा 0-33 है0, ख0 न0 1340/2 रकबा 0-33 है0 वाके ग्राम उनियारा तहसील उनियारा जिला टोंक मे किसी प्रकार की दखलंदाजी नही करे। पर्चा डिग्री जारी हो। फरीकेन खर्चा अपना-2 वहन करे। पत्रावली फैसलशुदा होकर नम्बर से कम हो तथा दफ्तर दाखिल हो।

(हस्ताक्षर)

उप खण्ड अधिकारी
उनियारा जिला टोंक

D/Files/T-1

Scanned by CamScanner

प्रपत्र –5

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा जिला टोंक

उनवान

श्री प्रेमचन्द पि0मु0 माणकचन्द जाति महाजन निवासी उनियारा तहसील उनियारा जिला टोंक

– वादी

बनाम

1.जगदीश पुत्र गोरधन जाति माली नि0 वार्ड न0 1 उनियारा जिला टोंक

2.नानगराम पुत्र जगदीश जाति माली नि0 वार्ड न0 1 उनियारा जिला टोंक

3.लालाराम पुत्र जगदीश जाति माली नि0 वार्ड न0 1 उनियारा जिला टोंक

4.गिर्राज पुत्र जगदीश जाति माली नि0 वार्ड न0 1 उनियारा जिला टोंक

5.मुकेश पुत्र जगदीश जाति माली नि0 वार्ड न0 1 उनियारा जिला टोंक

6.श्रीमति दांखा पत्नी जगदीश जाति माली नि0 वार्ड न0 1 उनियारा जिला टोंक

7. महावीर पुत्र रामपाल जाति काछी निवासी उनियारा जिला टोंक

8.रामनारायण पुत्र रामकुवार जाति गुर्जर निवासी खेलनियां तहसील उनियारा

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत स्थायी निषेधाज्ञा

मुकदमा नम्बर :– 186 वर्ष 2015

वादी की ओर से श्री पी0सी0जैन प्रतिवादीगण की और से श्री सच्चिदानन्द शर्मा वकीलकी उपस्थिति मे इस वाद मे आज तारीख 12.12.2015 को श्री सुभाषचन्द शर्मा, आर0ए0एस0 उपखण्ड अधिकारी उनियारा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश किया जाता है और डिकी दी जाती है कि प्रतिवादीगण को हमेशा –2 के लिये जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे वादी के खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी ख0न0 1336 रकबा 1.00 है0, ख0न0 1338/2 रकबा 0.33 है0, ख0न0 1340/2 रकबा 0.33 है0, वाके ग्राम उनियारा तहसील उनियारा जिला टोंक में किसी प्रकार की दखलंदाजी नहीं करे। फरिकेन खर्च अपना अपना वहन करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 12 माह 12 सन् 2015 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
उनियारा जिला टोंक

उप खण्ड अधिकारी
उनियारा जिला टोंक

Scanned by CamScanner